मुकदमों का विवरण

सालिब @शालू @सलीम बनाम।

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 2344) अगस्त 08,2023

**[**बी**.** आर**.** गवई और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःएक ऐसे मामले में जहां पहली बार सूचना देने वाले का नाम अपीलार्थी का नाम सामने आया है, अपीलार्थी का नाम प्राथमिकी में अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं लिया गया है और उसके खिलाफ पूरी प्राथमिकी में नाम के लायक कोई आरोप नहीं है, क्या उच्च न्यायालय को प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करने में उचित ठहराया गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -**धारा**. 482-**एफ**.** आई**.** आर**.** को रद्द करना**,** जब पहली बार सूचना देने वाले का नाम अपीलार्थी के आगे के बयान में पहली बार सामने आया**-**उच्च न्यायालय ने एफ**.** आई**.** आर**.** को रद्द करने से इनकार कर दिया**-**सच्चाईः

आयोजित किया गयाःएफ. आई. आर. में अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में अपीलार्थी का नाम नहीं लिया गया-उसके खिलाफ पूरी एफ. आई. आर. में नाम के लायक कोई आरोप नहीं है-पहले सूचना देने वाले ने अपने आगे के बयान में पूरी तरह से एक अलग कहानी बताई जो उसने एफ. आई. आर. में सुनाई थी-नो ऑफेंस यू/एस।195 ए और एस।386 पहली सूचना देने वाले द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा मामला मनगढ़ंत और मनगढ़ंत प्रतीत होता है-एक अवधि में दर्ज कई प्राथमिकियां जो निजी या व्यक्तिगत द्वेष से प्रतिशोध को आकर्षित करती हैं-इसे देखते हुए, प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-दंड संहिता, 1860-एस.147, 148, 149, 195 ए, 386,504 और 506-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012-एस. एस.7,8. [पैरा 10,14,16 और 24-27]

दंड संहिता**, 1860 -**धारा**. 195** क**-**जाँच अभिकरण द्वारा आह्वान**-**शुद्धता।

आयोजित किया गयाःकिसी व्यक्ति को शिकायत या एफ**.** आई**.** आर**.** वापस लेने या विवाद को निपटाने की धमकी देना आकर्षित नहीं करेगा।**195** ए**-59** का गठन करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं



एस. ए. एल. आई. बी. @शालू @सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

दंडनीय यू/एस।195 ए. का खुलासा, एफ. आई. आर. के सादे पढ़ने और तथाकथित चश्मदीद गवाह के बयान सहित पहले सूचना देने वाले के आगे के बयान पर-यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों ने पहले सूचना देने वाले को इस इरादे से धमकी दी कि पहला सूचना देने वाला अदालत के समक्ष गलत सबूत देता है।[पैरा 15 और 16]

दंड संहिता**, 1860 -**धारा **386-**किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डाल कर जबरन वसूली**-**आवश्यक सामग्री का आह्वानः

आयोजित किया गयाःपीड़ित को किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, आदि देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए-संपत्ति की डिलीवरी सहमति से होनी चाहिए जो व्यक्ति को किसी भी चोट के डर से प्राप्त की गई है-किसी भी संपत्ति को जबरन लेना इस अवज्ञा के तहत नहीं आएगा-यह दिखाना होगा कि व्यक्ति को चोट के डर से संपत्ति को छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था-तथ्यों पर, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि डर में रखे गए व्यक्ति द्वारा संपत्ति (धन) के कब्जे का वास्तविक वितरण किया गया था-किसी भी चीज़ के अभाव में यह सुझाव देने के लिए कि पहली सूचना देने वाला किसी भी चोट के डर से एक विशेष राशि के साथ भाग ले गया था, किसी भी तरह से नहीं।386 कहा जा सकता है कि इसे बनाया गया था। [पैरा 22 और 24]

एफ. आई. आर.-रद्द करना-अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान।**482** सी. आर. पी. सी. या संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र-न्यायालय का कर्तव्यः

आयोजित किया गयाःजब भी कोई अभियुक्त अनिवार्य रूप से इस आधार पर एफ़. आई. आर. या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफ़. आई. आर. को सावधानी से और थोड़ा और अधिक बारीकी से देखे-अदालत के लिए केवल एफ़. आई. आर./शिकायत में किए गए कथनों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि कथित अपराध का खुलासा किया जाता है या नहीं किया जाता है-तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले के रिकॉर्ड से उपजी कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर ध्यान दे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी से ध्यान देने का प्रयास करे।

[पैरा 26] 60 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

रमद सिंह बनाम 1931 का सम्राट आपराधिक संशोधन संख्या 125 (पट)-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: 2023 की आपराधिक अपील No.2344।

2022 के सी. आर. एल. एम. डब्ल्यू. पी. No.13339 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.10.2022 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहम्मद।ज़ाहिद हुसैन, सुश्री जेमतीबेन ए. ओ., उत्सव सहगल, सुश्री मुमताज जावेद शेख, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री गरिमा प्रसाद, वरिष्ठ ए. ए. जी., बृजेंद्र चाहर, वरिष्ठ अधिवक्ता, विश्व पाल सिंह, अविरल सक्सेना, रवींद्र लोखरे, सुश्री श्वेता यादव, अभिनव अग्रवाल, हर्ष प्रताप शाही, सुश्री मानवी दीक्षित शर्मा, आशुतोष भारद्वाज, प्रतीक राय, शुभम सक्सेना, आकाश, नमन राज सिंह, आशीष पांडे, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. यह अपील उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले के मिर्जापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) संख्या 175 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाने वाले एक आरोपी के निर्देश पर है और अपीलकर्ता के नेतृत्व में 2022 की आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 13339 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

3. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दर्ज की गई दिनांकित एफ. आई. आर. 11.08.2022 में लिखा है

इस प्रकारः

- 61

एस. ए. एल. आई. बी. @शालू @सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

“से, एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन मिर्जापुर पॉल, जिला सहारनपुर।सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया कि सहारनपुर जिला के मिर्जापुर पॉल गाँव के निवासी इरफान की पत्नी हुस्ना ने इकबाल @बाला और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला अपराध सं.

122/22 आई. पी. सी. की धारा 376 डी, 323,120 बी, 452 के तहत महिला थाने में एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच की जा रही है।इस वजह से आसागर का बेटा खुर्शीद और फारूक का बेटा मुस्ताक और शाहपुर गड्ढा, पुलिस स्टेशन मिर्जापुर पॉल, जिला सहारनपुर निवासी फारूक की महाराज पत्नी मुझे शिकायतकर्ता को धमकी दे रहे हैं।उन्होंने मुझसे फोन पर और आमने-सामने कहा कि अगर आपने इस मामले को सुलझा नहीं लिया तो आपको और आपके परिवार को मार दिया जाएगा और सुलेमान कबड्डी ने मुझे पिस्तौल दिखाई और कहा कि हम इकबाल उर्फ बल्ला के साथी हैं।यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।आपसे कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।मैं बाध्य रहूंगा।"

4. इस प्रकार उपरोक्त एफ. आई. आर. के एक स्पष्ट पठन पर यह प्रतीत होता है कि पीड़ित हुस्ना (प्रतिवादी संख्या 3 यहाँ) ने पहले आई. पी. सी. की धारा 376 डी, 323,120 बी, 354 ए और 452 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 122 दर्ज की थी और हाजी इकबाल @बाला (यहाँ अपीलार्थी के ससुर), महमूद, जावेद, अलीशान, अफजल और दिलशाद के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7 और 8 के जवाब के तहत दर्ज की थी।यह आरोप लगाया गया है कि जब ऊपर उल्लिखित 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 122 की जांच चल रही थी, तब खुर्शीद, फारुख, महाराज और सुलेमान नामक अभियुक्त व्यक्तियों ने टेलीफोन पर और साथ ही व्यक्तिगत रूप से पीड़ित को यह कहते हुए धमकी दी थी कि वे इकबाल उर्फ बाला के सहयोगी हैं और अगर वह 2022 की उक्त एफ. आई. आर. संख्या 122 को वापस नहीं लेती है, तो उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मार दिया जाएगा।

5. एतऽ अपीलार्थी अपन विरुद्ध दर्ज एफ. आई. आर. कैं निरस्त करबाक प्रार्थनाक संग 2022 क आपराधिक विविध रिट याचिका सं. 13339 के माध्यम सँ उच्च न्यायालयक समक्ष गेल।उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.10.2022 के विवादित आदेश के माध्यम से प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।आदेश इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“याचिकाकर्ता की ओर से श्री इंद्र भान यादव, शिकायतकर्ता की ओर से श्री नमित श्रीवास्तव और राज्य के उत्तरदाताओं की ओर से ए. जी. ए. को सुना।

62 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

इस याचिका में मांगी गई राहत सहारनपुर जिले के आई. पी. सी. पुलिस स्टेशन मिर्जापुर की धारा 506 के तहत 2022 के केस क्राइम No.175 के रूप में दर्ज की गई दिनांकित 11.08.2022 की विवादित एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए है।

उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विवादित प्राथमिकी झूठे/परेशान करने वाले/शरारतपूर्ण आरोपों पर दर्ज की गई है, और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए गए हैं।

लर्नड ए. जी. ए. ने एफ. आई. आर. को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया, जो संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है।

विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का पता चलता है।आरोपों की शुद्धता का परीक्षण जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए जैसा कि 6 जून 2019 की अधिसूचना No.1058/79-V-1-19-1 (K)-20-2018 को सम्मिलित करके किया गया है और इसलिए, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 सप.(1) एस. सी. सी. 335 और मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम.महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 1918 और अपील के लिए विशेष अनुमति (सी. आर. एल.) No.3262/2021 (लीलावती देवी @लीलावती और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) ने 07.10.2021 पर निर्णय लिया, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

इसलिए, रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को कानून के तहत और कानून के अनुसार अग्रिम जमानत/जमानत के लिए सक्षम अदालत के समक्ष आवेदन करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों पर निर्णय नहीं लिया है और याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार उचित कार्यवाही में उचित स्तर पर उठाने के लिए इन्हें खुला छोड़ दिया गया है।"

6. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

एस. ए. एल. आई. बी. @शालू @सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

ऐप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ दवे ने अपनी लिखित दलीलों में कहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“क) यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का नाम वर्तमान एफ. आई. आर. में नहीं है, लेकिन बाद में जाँच के दौरान उसका नाम पहली बार कथित चश्मदीद गवाह सलमान के बयान में दर्ज किया गया था, जिसने कथित घटना का एक बेहतर संस्करण दिया और उक्त बयान के आधार पर, जी. डी. प्रविष्टि संख्या 30 दिनांक <आई. डी. 1 के अनुसार आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,195-ए, 386,504 और 506 के तहत अपराध को एफ. आई. आर. संख्या 175/2022 में जोड़ा गया था।यह कहना उचित है कि प्राथमिकी में कहीं भी शिकायतकर्ता ने घटना के समय और स्थान पर कथित चश्मदीद गवाह सलमान की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया है।

ख) प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप न केवल बेतुके हैं, बल्कि अत्यधिक असंभव भी हैं क्योंकि प्राथमिकी में घटना की तारीख और समय का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा सर्वव्यापी आरोपों के अलावा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है।याचिकाकर्ता घटना के समय और स्थान, गांव मिर्जापुर, सहारनपुर जिले में मौजूद नहीं था, और वास्तव में याचिकाकर्ता स्थायी रूप से कुंजग्रांट, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड में रह रहा है।

ग) यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट बिल्कुल झूठी और तुच्छ है, और उक्त एफ. आई. आर. को पढ़ने पर, आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,195-ए, 386,504 और 506 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ स्पष्ट रूप से आरोप नहीं लगाया गया है।एफ़. आई. आर. में पूरा आरोप शिकायतकर्ता द्वारा हाजी इकबाल उर्फ बाला (याचिकाकर्ता के ससुर) और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376,323,354 (ए) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7 और 8 के तहत दर्ज की गई पहले की एफ़. आई. आर. के इर्द-गिर्द घूमता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता उक्त एफ. आई. आर. No.122/2022 में आरोपी नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को 2022 की उक्त एफ. आई. आर. No.122 को वापस लेने की धमकी देने का कोई सवाल ही नहीं था।

64 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

घ) कि शिकायतकर्ता को अन्य व्यक्तियों के खिलाफ इसी तरह के आधारहीन और झूठे आरोप लगाने की आदत है और उसने याचिकाकर्ता के ससुर हाजी इकबाल के साथ राजनीतिक मतभेद निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान सत्तारूढ़ दल के इशारे पर वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की है क्योंकि वह एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल से संबंधित है और वह 2011 से 2016 तक विधान परिषद का सदस्य था।

ई) यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित रूप से दर्ज मामलों का उल्लेख किए बिना गलत तरीके से कहा है कि याचिकाकर्ता कई आपराधिक मामलों में शामिल है।याचिकाकर्ता किसी गिरोह का सदस्य नहीं है और उसे वर्तमान मामले में सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वह हाजी इकबाल उर्फ बाला का दामाद है और हाजी इकबाल उर्फ बाला के परिवार के सदस्यों का पैरोकर भी कुछ मामले हैं जो लर्नड ट्रायल कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

च) यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और 2022 की वर्तमान एफ. आई. आर. संख्या 175 के अलावा उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

छ) प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,195-ए, 386,504 और 506 के तहत कोई मामला नहीं बनाते हैं और इस प्रकार, एफ. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है।यह उल्लेख करना उचित है कि आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद भी, प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका अदालत की शक्तियों के भीतर है [कृपया देखें]:आनंद

कुमार मोहट्टा और अन्य बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**),** गृह और अन्य विभाग **(2019) 11** एस**.** सी**.** सी**. 706**

पैराग्राफ 14 और 16]।

ज) ऊपर वर्णित कारणों से, विशेष अनुमति याचिका की अनुमति दी जा सकती है और 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 175 को रद्द करने से इनकार करने वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जा सकता है।"

राज्य के स्वयं के बारे में टिप्पणियां

8. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने अपनी लिखित दलीलों में कहा हैः

- 65

एस. ए. एल. आई. बी. @शालू @सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

“क) कि याचिकाकर्ता गिरोह के परिवार का सदस्य होने के नाते और गिरोह के अन्य सदस्य आपराधिक दिमाग वाले व्यक्ति हैं और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और याचिकाकर्ता विभिन्न अवैध कार्यों में भी शामिल है।

ख) कि शुरू में याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं था; हालाँकि, जांच एजेंसी ने जांच के दौरान जोड़ा कि 147,148,149,195 ए, 386,504,506 आई. पी. सी. जोड़ा गया है और याचिकाकर्ता का नाम जोड़ा गया है।

ग) एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद, जाँच कार्यालय द्वारा जाँच की गई, जाँच के दौरान, धारा 41 ए Cr.P.C के तहत याचिकाकर्ता को कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और नोटिसों का जवाब नहीं दिया और उसने वास्तविक सच्चाई का पता लगाने के लिए जाँच में सहयोग नहीं किया।इसके अलावा, यह था कि याचिकाकर्ता फरार है और उसके देश छोड़कर चले जाने का संदेह है।

घ) जाँच के दौरान, शिकायतकर्ता का बयान धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए थे जिसमें शिकायतकर्ता का दावा साबित होता है।

ङ) सहारनपुर जिला के पी. एस. मिर्जापुर में दर्ज उपरोक्त एफ. आई. आर./अपराध सं. 175/2022 यू/एस. 147,148,149,195 ए, 386,504,506 आई. पी. सी. में कुल चार (4) आरोपी व्यक्ति हैं जिनके नाम खुर्शीद, फारुख, महाराज, सुलेमान काबादी हैं।आगे जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता का नाम भी जोड़ा गया था, लेकिन केवल याचिकाकर्ता ही उक्त एफ़. आई. आर. को रद्द करने के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष आता है।

च) जाँच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार है, लेकिन इस माननीय न्यायालय के दिनांक 1 के स्थगन आदेश के कारण आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।छ) जाँच के दौरान, धारा 161 Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता/पीड़ित का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़ित ने खुलासा किया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 मोहम्मद के गिरोह के सदस्यों द्वारा 2022 की उपरोक्त प्राथमिकी संख्या 122 में समझौता करने के लिए उस पर दबाव डाला गया था। इकबाल।इसके अलावा, यह भी बताया गया कि खुर्शीद पुत्र असगर, फारूक पुत्र मुताक, मेहराज पुत्र फारूक और सुलेमान कबाड़ी पुत्र खुरफान ने पीड़ित को धमकी दी है और सुलेमान कबाड़ी ने 66 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर. को दिखाया है।

पिस्तौल और चेतावनी दी कि अगर उसने मुद्दों को हल नहीं किया है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।

उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की वर्तमान विशेष अनुमति याचिका अनुकरणीय लागत और आपराधिक विविध मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश के साथ खारिज की जा सकती है।2022 की रिट याचिका संख्या 13339 को बरकरार रखा जा सकता है।"

विश्लेषण

9. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, क्या प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाना चाहिए?

10. हम निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -1.एतऽ अपीलकर्ताकिँ एफ. आई. आर. मे अभियुक्त व्यक्ति सभमेसँ एकके रूपमे नामित नहि कयल गेल अछि।अपीलार्थी के खिलाफ यहाँ पूरी एफ़. आई. आर. में नाम के लायक कोई आरोप नहीं है।

2.ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना देने वाले का आगे का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था और उक्त बयान में अपीलार्थी का नाम सामने आया था।

11. प्रथम सूचनादाता ने अपने दिनांकित 12.08.2022 के आगे के बयान में इस प्रकार कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"... कल सुबह लगभग 7 बजे मैं अपनी बेटी सालिया के साथ अपनी मां के घर अपने भाई को देखने के लिए शाहपुर गडा जा रहा था, जैसे ही मैं पेट्रोल पंप के आगे पहुँचा, तो एक अज्ञात सफेद रंग की बोलेरो कार आई और मेरे बगल में रुकी, उसमें बैठे लोगों ने कार का शीशा नीचे कर दिया।इसलिए मैंने पहचाना कि यह सुलेमान कबाड़ी है।इसलिए सामने की सीट पर बैठे सुलेमान कार से नीचे उतरे और कहा कि बार-बार कहने के बाद आपको समझ नहीं आया।हमने आपको यह भी समझाया था कि हाजी इकबाल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में शिकायत न करें।लेकिन आपको गाली देने के बाद, आप सहमत नहीं हुए।अब हमारी जेल और अदालत पर लगभग 10 लाख रुपये खर्च होंगे।आपके पिता आपको क्या देंगे?फिर कार में बैठे सभी लोग 67



नीचे उतरकर मुझे घेर लिया।राशिद प्रधान महमूदपुर ने कहा कि या तो अब शिकायत वापस ले लें या 10 लाख रुपये दें।अन्यथा आप निश्चित रूप से मर जाएँगे।आपके साथ आपका परिवार भी मर जाएगा।इसलिए शाहपुर गडा निवासी असलम उर्फ शुभा ने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और मेरी ओर इशारा किया और कहा कि आपने सुना है, हमें कम से कम 10 लाख रुपये दें।अन्यथा मामला वापस ले लें।अन्यथा, आप जानते हैं कि आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा।और अपने परिवार से कहें कि हमारे खिलाफ गवाही न दें।अन्यथा सभी मरने के लिए तैयार रहें।पिस्तौल को देखकर मैं और मेरी बेटी डर से भागने लगे। हमारी आवाज़ भी बाहर नहीं आ सकी।रायपुर के राव आतिफ ने कहा कि भागने के बाद वह कहाँ जाएगी।और यह कब तक चलता रहेगा?या तो कोई निर्णय लेंगे या रुपये देंगे। 10 लाख या मर जाते हैं।पास में खड़ा व्यक्ति, कुंजा ग्रांट विकास नगर, देहरादून का निवासी सालिब उर्फ सालू पुत्र दिलशाद, जो इकबाल उर्फ बाला का भतीजा और दामाद भी है, बार-बार कह रहा था कि उसने उसे कार में घेर लिया।या तो वह फैसला करेगी या पैसे देगी या वह आज ही मर जाएगी।तभी गांव मिर्जापुर के सलमान के बेटे लतीफ को मैं पहले से जानता था।वह अपनी बाइक पर आया और हमारे पास रुका और पूछा कि सुलेमान कबाड़ी ने क्या कहा कि अब बहुत समय हो गया है, लोग आने-जाने लगे हैं।यह कहते हुए लोग कार में बैठ गए और शाहपुर गडा की ओर भागे।मैं यहाँ सड़क पर बैठा था।कुछ समझ में नहीं आया।मैंने ये सब बातें सलमान के बेटे लतीफ, मिस्टर खुर्शीद, फारूक, महाराज को बताई जो मेरे परिवार से हैं।ये लोग इकबाल उर्फ बाला और उसके परिवार के खिलाफ मामले में फैसला लेने के लिए फोन पर मेरे परिवार के सदस्यों से बात करके मुझे धमकी देते हैं।सर, मैं बहुत चिंतित हूं, कृपया मेरी मदद करें।यह मेरा कथन है।महोदय, जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, वे इकबाल उर्फ बाला के घर आते थे, इसलिए मैं उन्हें पहले से जानता हूं।..."

12. ऊपर उल्लिखित आगे के बयान की रिकॉर्डिंग के साथ, जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 147,148,149,195 ए, 386 और 504 को जोड़ा।

13. हम तथाकथित चश्मदीद गवाह सलमान के एक पुलिस बयान का भी उल्लेख कर सकते हैं।बयान इस प्रकार हैः



"कल्याण पुलिस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर निवासी लतीफ ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे वह अपने घर मिर्जापुर से शाहपुर गडा किसी काम से जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि हमारे अपने गांव में कुछ लोग श्रीमती हुस्ना के आसपास सड़क पर खड़े हैं।जो हमारे आसपास हैं।जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उनमें से एक है सुलेमान कबड्डी, फुरकान का बेटा, गांव मिर्जापुर पॉल का निवासी, पुलिस स्टेशन मिर्जापुर पॉल, जिला सहारनपुर, शहर मिर्जापुर और दूसरा व्यक्ति, राशिद का बेटा मोहम्मद।निवासी शाहपुर गडा पुलिस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर और चौथे व्यक्ति का नाम आतिफ बेटा हमीद निवासी रायपुर पुलिस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर और पांचवें व्यक्ति का नाम सालिब उर्फ सालू बेटा दिलशाद निवासी कुंजा ग्रांट विकास नगर देहरादून है जो हाजी इकबाल उर्फ बाला का रिश्तेदार है, हर कोई एक सम्मानित व्यक्ति है, हर कोई हमारे गांव मिर्जापुर में आता-जाता रहता है।ये लोग हाजी इकबाल उर्फ बाला और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लिखे गए मामले में निर्णय लेने के लिए गांव मिर्जापुर पॉल पुलिस स्टेशन मिर्जापुर जिले के रहने वाली हुस्ना की पत्नी इरफान को गाली दे रहे थे और धमकी दे रहे थे।और लिखित मामले में होने वाले खर्चों के लिए पैसे की मांग कर रहे थे।जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये सभी लोग अपनी-अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठ गए और शाहपुर गढ़ की ओर चले गए।जहाँ श्रीमती हुस्ना बॉडी मूड में बैठी थीं।जब मैंने उससे

पूछा कि क्या हुआ, तो हुस्ना देवी ने मुझे ये सारी बातें मौके पर ही बता दीं।महोदय, यह सच है कि जब मैं मोटरसाइकिल लेकर वहाँ पहुँचा तो इन लोगों ने हुस्ना को घेर लिया और पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर खड़े होकर उसे धमकी दे रहे थे।इनमें से असलम के हाथ में पिस्तौल भी थी।मैं बिना किसी दबाव के यह बयान दे रहा हूं।मैंने जो देखा है, वह आपको बता दिया है।मेरा किसी से कोई लेना-देना नहीं है।यह मेरा कथन है।"

14. उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना देने वाली ने अपने आगे के बयान में जो उसने एफ. आई. आर. में बताया था, उससे पूरी तरह से अलग कहानी बताई। हम यह कहने की हद तक नहीं जाएंगे कि चूंकि इसमें अपीलार्थी का नाम एफ. आई. आर. में स्पष्ट नहीं है और पीड़ित के आगे के बयान में पहली बार ही इसका खुलासा किया गया है कि यह स्वयं एफ. आई. आर. को रद्द करने का आधार हो सकता है। हालांकि, 69 हैं।

एस. ए. एल. आई. बी. @शालू @सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मामले के अभिलेख से उभरने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियाँ जो इंगित करती हैं कि मामला गलत निहितार्थ का है।सिर्फ इसलिए कि इसमें अपीलकर्ता एक बहुत ही कठोर अपराधी का दामाद है जैसा कि इकबाल @बाला नाम से आरोप लगाया गया है, उसे भी आगे के बयान के माध्यम से शामिल किया गया है।यह ध्यान देने योग्य है कि पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में गाँव मिर्जापुर पॉल में सलमान पुत्र लतीफ की उपस्थिति का दूर से भी उल्लेख नहीं किया है।हम यह सब केवल यह प्रदर्शित करने के लिए उजागर कर रहे हैं कि कैसे पूरे मामले को चरण-दर-चरण गढ़ा गया था।

15. इस मामले में एक अलग कोण है।ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच एजेंसी ने आई. पी. सी. की धारा 195 ए लागू की है। आई. पी. सी. की धारा 195 ए इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

**"**धारा **195** क। किसी भी व्यक्ति को गलत सबूत देने की धमकी देना।

जो कोई दूसरे को अपने व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति या किसी ऐसे व्यक्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है, उस व्यक्ति को गलत साक्ष्य देने के इरादे से, दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, या दंड के साथ, या दोनों के साथ।

और यदि निर्दोष व्यक्ति को ऐसे झूठे साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषी ठहराया जाता है और सात साल से अधिक के लिए मौत या कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो जो व्यक्ति धमकी देता है उसे उसी तरह से सजा और सजा दी जाएगी और उसी हद तक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को सजा और सजा दी जाएगी।"

16. उपरोक्त प्रावधान के एक सादे अध्ययन से संकेत मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को किसी भी नुकसान की धमकी दी जाती है और ऐसी धमकियां उस व्यक्ति को गलत सबूत देने के इरादे से दी जाती हैं, तो यह आईपीसी की धारा 195 ए के तहत एक अपराध होगा। हमारी राय में, आई. पी. सी. की धारा 195 ए के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया जाता है, एफ. आई. आर. के सादे पढ़ने और तथाकथित चश्मदीद गवाह के बयान सहित पहले सूचना देने वाले के आगे के बयान पर।एफ. आई. आर. में आरोप यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पहली सूचना देने वाली को धमकी दी और आई. पी. सी. की धारा 376 डी, 323,120 बी, 354 ए और 452 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज 2022 की संख्या 122 वाली अपनी पहली एफ. आई. आर. को वापस लेने के लिए दबाव डाला। इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पहली सूचना देने वाले को इस इरादे से धमकी दी कि पहली सूचना देने वाला अदालत के समक्ष गलत सबूत देता है।धारा 195 ए का बाद का भाग 70 बनाता है।



यह बहुत स्पष्ट है कि झूठे साक्ष्य का अर्थ है न्यायालय के समक्ष गलत साक्ष्य।इस तरह के झूठे साक्ष्य पर यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है, तो धमकी देने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को उसी तरह और उसी हद तक सजा और सजा दी जाएगी जिस हद तक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को सजा और सजा दी जाती है।धारा 195 ए में "गलत" शब्द को आई. पी. सी. की धारा 191 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो गलत साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध के अध्याय 11 में आता है।इस प्रकार, भले ही हम एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों को सच मानते हैं, धारा 195 ए के तहत

दंडनीय अपराध का गठन करने वाले किसी भी तत्व का खुलासा नहीं किया जाता है।किसी व्यक्ति को शिकायत या एफ. आई. आर. वापस लेने या विवाद को निपटाने की धमकी देना आई. पी. सी. की धारा 195 ए को आकर्षित नहीं करेगा।

17. उपरोक्त संदर्भ में, हमें दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 195 ए पर गौर करना चाहिए।सी. आर. पी. सी. की धारा 195 ए इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

**"**धारा **195** क। धमकी देने के मामले में गवाहों के लिए प्रक्रिया**,**

आदि-एक गवाह या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 195 ए के तहत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है।"

18. उपरोक्त प्रावधान के सादे पढ़ने से संकेत मिलता है कि यदि किसी गवाह या किसी अन्य व्यक्ति को धमकियां मिलती हैं और इस तरह की धमकियां उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष गलत सबूत देने के इरादे से दी जाती हैं, तो ऐसा गवाह या व्यक्ति आईपीसी की धारा 195 ए के तहत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की शिकायत साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायालय के समक्ष दर्ज की जानी चाहिए।सी. आर. पी. सी. की धारा 195 ए शिकायत दर्ज करने का उपचार प्रदान करती है।"शिकायत "का अर्थ है सी. आर. पी. सी. की धारा 2 (डी) के तहत अवज्ञा जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"धारा 2 (डी) "शिकायत" का अर्थ है इस संहिता के तहत कार्रवाई करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से किया गया कोई भी आरोप, कि किसी व्यक्ति, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, ने अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण.—एक मामले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट जो जांच के बाद, एक गैर-संज्ञेय 71 के कमीशन का खुलासा करती है।



अपराध को एक शिकायत माना जाएगा और जिस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की जाती है, उसे शिकायतकर्ता माना जाएगा।

19. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि आई. पी. सी. की धारा 195 ए एक संज्ञेय अपराध है।संज्ञेय अपराध में, पुलिस के पास जाँच करने की शक्ति है।हम इस सवाल में नहीं जा रहे हैं कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 का प्रतिबंध आई. पी. सी. की धारा 195 ए पर लागू होगा क्योंकि हमारा विचार है कि आई. पी. सी. की धारा 195 ए के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने वाले किसी भी तत्व का वर्तमान मामले के तथ्यों में खुलासा नहीं किया गया है।20. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि आई. पी. सी. की धारा 386 भी लागू की गई है।आई. पी. सी. की धारा 386 किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर से जबरन वसूली से संबंधित है।आई. पी. सी. की धारा 386 इस प्रकार हैः—

**"**धारा **386**।किसी व्यक्ति को मृत्यु के भय में डाल कर जबरन वसूली या

गंभीर चोट लगी।—जो कोई भी किसी व्यक्ति को मृत्यु या उस व्यक्ति या किसी अन्य को गंभीर चोट पहुँचाने के डर से जबरन वसूली करता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह दंडनीय भी होगा।"

21. "आई. पी. सी. की धारा 383 में "जबरन वसूली" को निम्नानुसार निरस्त किया गया हैः—

"धारा 383।जबरन वसूली।— जो कोई भी जानबूझकर किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति या किसी अन्य को किसी नुकसान के डर में डालता है, और इस तरह बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कुछ भी हस्ताक्षरित या सील करने के लिए प्रेरित करता है जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, वह जबरन वसूली करता है।दृष्टान्त

(ए) ए जेड के संबंध में एक मानहानिकारक मानहानि प्रकाशित करने की धमकी देता है जब तक कि जेड उसे पैसे नहीं देता।इस प्रकार वह जेड को पैसे देने के लिए प्रेरित करता है।ए ने जबरन वसूली की है।

(ख) ए जेड को धमकी देता है कि वह जेड के बच्चे को गलत तरीके से कैद में रखेगा, जब तक कि जेड हस्ताक्षर नहीं करेगा और ए को एक वचन पत्र नहीं देगा जो जेड को ए. जेड संकेतों के लिए कुछ धन का भुगतान करने के लिए बाध्य करेगा और नोट वितरित करेगा।ए ने जबरन वसूली की है।

72 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

(ग) ए क्लब-पुरुषों को जेड के फाइएल्ड को जुताई करने के लिए भेजने की धमकी देता है जब तक कि जेड हस्ताक्षर नहीं करता है और बी को कुछ उपज देने के लिए दंड के तहत जेड को बाध्य करने वाले बॉन्ड को बी को वितरित नहीं करता है, और इस तरह जेड को हस्ताक्षर करने और बॉन्ड को वितरित करने के लिए प्रेरित करता है।ए ने जबरन वसूली की है।

(घ) ए, जेड को गंभीर चोट लगने के डर से, बेईमानी से जेड को एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करने या अपनी मुहर लगाने के लिए प्रेरित करता है और इसे ए. जेड संकेतों पर पहुँचाता है और कागज को ए. तक पहुँचाता है, क्योंकि इस तरह हस्ताक्षरित कागज को एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है।ए ने जबरन वसूली की है।"

22. अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जबरन वसूली के लिए आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि पीड़ित को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति आदि देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है, संपत्ति की डिलीवरी सहमति के साथ होनी चाहिए जो व्यक्ति को किसी भी चोट के डर से प्राप्त की गई है।चोरी के विपरीत, जबरन वसूली में सहमति का एक तत्व होता है, निश्चित रूप से, पीड़ित को चोट लगने के डर से प्राप्त किया जाता है।जबरन वसूली में, पीड़ित को चोट लगने के डर से उसकी इच्छा पर काबू पाना पड़ता है।जबरदस्ती किसी भी संपत्ति को लेना इस अवज्ञा के तहत नहीं आएगा।यह दिखाना होगा कि व्यक्ति को चोट लगने के डर से संपत्ति को छोड़ने के लिए उकसाया गया था।आई. पी. सी. में दी गई धारा के चित्र इसे पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं।

23. उपरोक्त संदर्भ में, हम पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा रमयद सिंह बनाम सम्राट आपराधिक संशोधन संख्या 1931 (पट) में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“यदि तथ्य यह होता कि शिकायतकर्ता का अंगूठा याचिकाकर्ताओं में से किसी एक द्वारा जबरन जब्त कर लिया गया था और उसके संघर्षों और विरोध के बावजूद कागज के टुकड़े पर लगाया गया था, तो मैं इस बात से सहमत होता कि यह कहने के लिए अच्छा आधार है कि जो कुछ भी किया गया वह जबरन वसूली का अपराध नहीं था क्योंकि शिकायतकर्ता चोट के डर से प्रेरित नहीं होता, बल्कि केवल वास्तविक शारीरिक मजबूरी का विषय होता।"

यह अभिनिर्धारित किया गया कि: - -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“यह स्पष्ट है कि इस अवज्ञा के कारण अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक हो जाता है कि पीड़ित नारायण और श्योनंदन को खुद को या दूसरों को चोट लगने के डर में रखा गया था, और इसके अलावा, वे 73 थे।

एस. ए. एल. आई. बी. @शालू @सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

बेईमानी से उनके अंगूठे के छाप वाले कागजात देने के लिए प्रेरित किया गया।वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी इससे आगे नहीं जाती है कि उनसे अंगूठे के निशान जबरन लिए गए थे।जबरन लेने का विवरण स्पष्ट रूप से सबूत में नहीं रखा गया था।ट्रायल कोर्ट पीड़ितों की कलाई पकड़े जाने और उनके अंगूठे के निशान 'लिए जाने' की बात करता है।निचली अदालतें केवल पीड़ित के अंगूठे की छाप को जबरन लेने की बात करती हैं; और चूंकि इसमें आवश्यक रूप से पीड़ित को अपने अंगूठे की छाप (ऐसे कागजात जिन्हें निस्संदेह मूल्यवान प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सकता है) के साथ कागजात देने के लिए प्रेरित करना शामिल नहीं है, इसलिए मुझे यह मानना चाहिए कि जबरन वसूली का अधिकार स्थापित नहीं है।"

24. इस प्रकार, यह ध्यान देने योग्य है कि पहले मुखबिर ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसने डर के कारण रुपये का भुगतान किया था। अभियुक्तों को 10 लाख।दूसरे शब्दों में कहें तो इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि डर में पड़े व्यक्ति द्वारा संपत्ति (धन) के कब्जे का वास्तविक वितरण किया गया था।दूरस्थ रूप से यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं होने पर कि प्रथम सूचना देने वाला किसी भी चोट के डर से एक विशेष राशि के साथ अलग हो गया था, आई. पी. सी. की धारा 386 के तहत कोई छूट नहीं दी गई थी।

25. हालाँकि, जैसा कि पहले देखा गया है, पहला मुखबिर द्वारा सामने रखा गया पूरा मामला मनगढ़ंत और मनगढ़ंत प्रतीत होता है।इस स्तर पर, हम भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लेख कर सकते हैं।मापदंड इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसी के समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य 74 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर. करते हैं।

किसी भी अपराध का खुलासा न करें और अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करें।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत विचार किया गया है।

(5) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट सी प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

हमारी राय में, वर्तमान मामला ऊपर निर्दिष्ट मानकों संख्या 1,5 और 7 उत्तर के अंतर्गत आता है।

26. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण देखना चाहेंगे।जब भी कोई अभियुक्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके एफ. आई. आर. प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष आता है या आपराधिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली होती है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफ. आई. आर. को सावधानी से और थोड़ी अधिक बारीकी से देखे।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ प्राथमिकी/शिकायत का बहुत अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया गया है।शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफ. आई. आर./शिकायत में किए गए कथन 75



वे ऐसे होते हैं कि वे कथित ऑफ एनस का गठन करने के लिए आवश्यक अवयवों का खुलासा करते हैं।इसलिए, न्यायालय के लिए केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, केवल एफ. आई. आर./शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा।तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले के अभिलेख से उपजी कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों को अभिकथनों के अलावा देखे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास

करे।सी. आर. पी. सी. की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को खुद को केवल मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखने का अधिकार है।उदाहरण के लिए हाथ में मामला लें।इस अवधि में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।यह ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में है कि कई प्राथमिकियों का पंजीकरण महत्वपूर्ण है, जिससे निजी या व्यक्तिगत द्वेष से बदला लेने का मुद्दा आकर्षित होता है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

27. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 175 दिनांकित 11.08.2022 जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, रद्द की जानी चाहिए।यह इतना स्पष्ट है कि जैसा कि राज्य का मानना है कि अपीलार्थी का ससुर इकबाल @बाला एक बहुत ही कठोर अपराधी है, उसका दामाद यानी वर्तमान अपीलार्थी जिसे पहले मुखबिर के आगे के बयान में फंसाया गया है, वह भी एक अपराधी है।28. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है।इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर के पुलिस स्टेशन मिर्जापुर में दर्ज 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 175 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

29. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल विचाराधीन प्राथमिकी और परिणामी आपराधिक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।इन टिप्पणियों में से किसी का भी किसी भी लंबित आपराधिक अभियोजन या किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन